न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 48/2017

अपीलांट–
ठाकराराम पुत्र केसराराम जाति जाट निवासी गंगावास तहसील बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1. तगाराम पुत्र केसराराम
2. विशनाराम पुत्र केसराराम
3. गजाराम पुत्र गोकलाराम
4. हडुमानराम पुत्र गोकलाराम
5. दीपाराम पुत्र किशनाराम
6. धर्माराम पुत्र किशनाराम
7. जेठाराम पुत्र किसनाराम
8. सोनाराम पुत्र किसनाराम
9. तेजाराम पुत्र किसनाराम
10. हरचन्दराम पुत्र निम्बाराम
11. रूपाराम पुत्र निम्बाराम
12. उदी पत्नी निम्बाराम
13. सिदाराम पुत्र पोलाराम
14. खेमाराम पुत्र पोलाराम
15. चूनी पत्नी पोलाराम
16. जोगाराम पुत्र नारणाराम
17. धापू पत्नी नारणाराम

जाति जाट निवासी गंगावास (हुडों की ढाणी) तहसील बायतु जिला बाड़मेर
18. तहसीलदार बायतु जिला बाड़मेर

न्यायालय अपर कलक्टर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 23 दिनांक 27.08.2014 जो तहसीलदार बायतु द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री चैनाराम सारण, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री कूंभसिंह चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1से4 व 7से17 की ओर से उपस्थित।
3. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट सं. 18 की ओर से उपस्थित।
4. रेस्पोडेंट सं. 5 व 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय।

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

निर्णय

दिनांक : 16/03/2020

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बायतु के द्वारा मौजा गंगावास के स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 23 दिनांक 27.08.2014 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा गंगावास के खसरा नम्बर 2, 57, 4, 35, 26/322, 34 रकबा क्रमशः 17–17, 63–03, 18–18, 152–17, 61–00, 01–00 कुल 314–15 बीघा के खातेदारान ठाकरा, तगा, विशना पि0 केसरा, हनुमानराम, गजाराम पि0 गोकला, जोगाराम पुत्र नारणा, धापू बेवा नारणा, सिदाराम, खेमाराम पि0 पोलाराम, चूनी बेवा पोलाराम, दीपाराम, धर्माराम, जेठाराम, सोनाराम, तेजाराम पि0 किशनाराम, हरचंद, रूपा पि0 निम्बा मु0 उदी बेवा निम्बा कौम जाट सा0 गंगावास तहसील बायतु ने प्रार्थना पत्र दिनांक 22.06.2013 तहसीलदार बायतु के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी छीतर का पार द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चौसाला जमाबन्दी एवं नक्शा मे दर्शाये अनुसार विभाजन प्रस्ताव सही है मौके पर सहखातेदारान विभाजन प्रस्ताव के अनुसार काबिज हैं। इस पर तहसीलदार बायतु द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का आदेश क्रमांक 2705 दिनांक 22.06.13 पारित किया गया। इस आदेश की पालना में हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सं. 23 दायर कर तहसीलदार बायतु के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 27.08.2014 को स्वीकृत कर दिया। अपीलांट्स ने उक्त नामान्तरकरण माफिक विभाजन स्वीकृति आदेश नहीं होना मानते हुए इसके विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.08.2017 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण से सम्बन्धित मूल विभाजन पत्र मंगवाया जाकर अवलोकनार्थ हमफीता किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

तहसीलदार बायतु को पक्षकारान की खातेदारी भूमि के विभाजन पत्र स्वीकृति आदेश दिनांक 22.06.2013 के अनुसार नामान्तरकरण दायर करवाते हुए स्वीकृत करना था किन्तु हल्का पटवारी द्वारा गलत व विधि विरूद्ध रेकर्ड व नक्शा में अंकन कर प्रस्तुत अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 23 दिनांक 27.08.2014 को पारित कर दिया। अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित होने से अपीलांट के कब्जे–काश्त में भारी फेर बदल हो रहा है तथा अपीलांट को अपने हिस्से व कब्जे से भौतिक रूप से 10 बीघा रकबा कम प्राप्त हो रहा हैं । अपीलाधीन नामान्तरकरण से नक्शा में गलत तरमीम होने के कारण अपीलकर्ता को अपने सेढा पडौसियों से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए पक्षकारान की आपसी सहमति से किये गये विभाजन पर तहसीलदार बायतु के स्वीकृति आदेश क्रमांक 2705 दिनांक 22.06.2013 के अनुसार नामान्तरकरण पारित कर रेकर्ड एवं लट्ठा ट्रैस में अंकन करने का आदेश प्रदान करावें।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण का ज्ञान सर्वप्रथम तब हुआ जब अपीलांट अपने खेत की केसीसी बनाने हेतु हल्का पटवारी से चालू जमाबन्दी व नक्शा लेने गया। हल्का पटवारी से प्राप्त चालू जमाबन्दी एवं नक्शा देखने पर नक्शा में कब्जे अनुसार तरमीम नहीं होना पाया। इस पर तहसीलदार कार्यालय बायतु से सहमति विभाजन आदेश संख्या 2705 दिनांक 22.06.2013 की नकलें प्राप्त की तब इस अपीलाधीन नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी हुई एवं जानकारी होने की तिथी से यह अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की जा रही हैं तथा धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा कर यह अपील अन्दर मयाद शुमार की जावें। इस प्रकार अपीलांट की यह अपील उल्लेखित कारणों पर स्वीकार जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 23 स्वीकृति आदेश दिनांक 27.08.2014 को अपास्त किया जावें एवं माफिक विभाजन स्वीकृति नये सिरे से नामान्तरकरण पारित करने का आदेश फरमाया जावें।

6. रेस्पोडेंट्स के योग्य अधिवक्ता ने अपीलांट की अपील के तथ्यों को स्वीकार कर जवाब मे प्रकट किया कि अपीलाधीन विभाजन सहमति से अवश्य हुआ था किन्तु इससे पूर्व मौके कब्जे की जांच एवं पैमाईश नहीं होने से कब्जे एवं रेकर्ड मे भिन्नता आ रही है तथा पक्षकारान के मध्य अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो गया हैं। इस आधार पर अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण अपास्त किया जाकर माफिक विभाजन

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

आदेश रेकर्ड में अमलदरामद हेतु प्रकरण तहसीलदार बायतु को रिमाण्ड किया जावें तो रेस्पोडेंट्स को किसी प्रकार आपत्ति नहीं हैं।

7. हमने दोनो अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा गंगावास के खसरा नम्बर 2, 57, 4, 35, 26/322, 34 रकबा क्रमशः 17–17, 63–03, 18–18, 152–17, 61–00, 01–00 कुल 314–15 बीघा के खातेदारान ने तहसीलदार बायतु के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर तहसीलदार बायतु द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का आदेश क्रमांक 2705 दिनांक 22.06.13 पारित किया गया। इस आदेश की पालना में हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सं. 23 दायर कर तहसीलदार बायतु के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 27.08.2014 को स्वीकृत कर दिया। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स का कथन हैं कि उक्त विभाजन अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नही होने से मौके कब्जे एवं नक्शा मे तरमीम मे भिन्नता आ रही है, जिसके फलस्वरूप पक्षकारान के आपस मे विवाद उत्पन्न हो गया हैं। इसके समाधान हेतु सभी पक्षकारान ने नये सिरे से विभाजन अनुसार नामान्तरकरण पारित किये जाने हेतु सहमति प्रकट की है, लिहाजा पक्षकारान की सहमति के आधार पर अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। यद्यपि यह अपील मयाद बाहर प्रस्तुत हुई हैं किन्तु माफिक आदेश नामान्तरकरण दायर करने से प्रारम्भ से ही शुन्य की परिभाषा में आता हैं तथा वास्तविक स्थिति की जानकारी होने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है, जो अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को सद्भाविक मानते हुए क्षमा किया जाना हम उचित मानते है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण पर स्वीकृति आदेश पारित करने से पूर्व विभाजन दस्तावेज की जांच नही करने से उक्त नामान्तरकरण दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार बायतु द्वारा मौजा गंगावास के नामान्तरकरण सं. 23 स्वीकृति आदेश दिनांक 27.08.2014 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

बायतु को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पक्षकारान की आपसी सहमति से कराये गये विभाजन अनुसार मौका कब्जा की जांच कर पुनः नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 16.03.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(राकेश कुमार शर्मा)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)